न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 389/2020 (76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956)
जीसीएमएस संख्याः– 2020/00396

उनवान

1. होतम उम्र 80 साल पुत्र स्व. श्री छत्तर जाति गुर्जर निवासी ग्राम कचेलपुरा बिजौली तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.01.2003 प्रकरण संख्या 274/2002 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर उनवानी सरकार बनाम होतम नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन अधिनियम।

अभिभाषकगणः–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री रामअवतार गौड़, उपस्थित।
2. अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट श्री दानिश खॉन, उपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 21.07.2023

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार बाडी ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी/अपीलान्ट ने उनके पक्ष में हुये आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गयी है। अतः अप्रार्थी/अपीलान्ट के आवंटन को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से स्वीकार करते हुये, अप्रार्थी/अपीलान्ट का आवंटन निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडैन्ट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत होने के कारण काबिली खारिजी है। अपीलान्ट ने आवंटित भूमि खसरा नम्बर 1586/1789 रकवा 05 बीघा स्थित ग्राम बिजौली को आवंटन दिनांक 24.10.1977 से ही अपनी पूँजी एवं श्रम लगाकर काश्त योग्य किया जाकर फसल पैदा करता आ रहा है एवं अपीलान्ट का आवंटित भूमि पर आज भी कब्जा काश्त है तथा अपीलान्ट का कब्जा काश्त होने के कारण ही संवत् 2023 लगायत 2036 में नामांतरकरण संख्या 200 से गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत् 2050 लगायत 2053 व 2058 लगायत 2061 में अपीलान्ट द्वारा फसल बाजरा एवं सरसों का इन्द्राज है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को अनदेखा करते हुये मनमाने तरीके से एक पक्षीय निर्णय पारित किया है। इसके अलावा अपीलान्ट द्वारा दिनांक 29.12.1999 में आवंटित भूमि को सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बाडी में रहन रखकर कृषि ऋण भी प्राप्त किया तथा रहन का नामांतरकरण संख्या 861 दर्ज हुआ है। बैंक द्वारा कब्जे की जॉच के उपरान्त ही ऋण दिया गया है। परन्तु तहसीलदार द्वारा बैंक को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश भी छपे हुये प्रोफार्मा पर है, जो आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। मियाद के संबंध में उनका निवेदन है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु श्री सत्येन्द्र सिंह अधिवक्ता को नियुक्त कर रखा था तथा अधिवक्ता ने आस्वस्त कर दिया कि आगामी कार्यवाही में आपकी आवश्यता पडने पर सूचित कर दिया जावेगा। आगामी पेशी पर वक्त आवाज अधिवक्ता उपस्थित न होने पर अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर, अपीलान्ट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। अपीलान्ट जब अपने बच्चों के मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास रिपोर्ट कराने गया तब जाकर अपीलान्ट को पटवारी हल्का से उक्त आदेश की जानकारी हो पायी। तत्पश्चात आदेश की सत्यप्रतिलिपि आदि लेकर, जानकारी की दिनांक से बिना देरी किये अपील प्रस्तुत की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2023 पेज 559, 436 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि के अनुरूप

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

रही है। जिसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर, धौलपुर दिनांक 27.01.2003 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 13.12.2017 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनिमय के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। मियाद के संबंध में अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी हेतु श्री सत्येन्द्र सिंह अधिवक्ता को नियुक्त कर रखा था तथा अधिवक्ता ने आस्वस्त कर दिया कि आगामी कार्यवाही में आपकी आवश्यकता पडने पर सूचित कर देगा। परन्तु आगामी पेशी पर वक्त आवाज अधिवक्ता उपस्थित ना होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर, बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया एवं अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा भी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी। अतः अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो पायी। अपीलान्ट जब अपने बच्चों के मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु पटवारी हल्का के पास रिपोर्ट कराने गया तब जाकर अपीलान्ट को पटवारी हल्का से उक्त आदेश की जानकारी हो पायी। तत्पश्चात आदेश की सत्यप्रतिलिपि आदि लेकर, जानकारी की दिनांक से बिना देरी किये अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.01.2003 में अंकित है कि अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित नहीं। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। परन्तु अप्रार्थी / अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी आदेशिका पर अंकित नहीं है। जैसा कि पूर्व पेशी दिनांक 30.12.2002 को अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी के न्यायालय में उपस्थित होने पर अंगूठा निशानी कराई है। उक्त तथ्य से प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के कथन मियाद के संबधं में सारपूर्ण नजर आते हैं। वैसे भी अनेकों न्यायिक सिद्धान्तों में यह निर्धारित किया गया है कि पक्षकार को गुणावगुण पर सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए है, तकनीकी आधार पर विवाद की उपेक्षा करना न्यायालय का ध्येय नहीं हो सकता है। इसके अलावा अभिभाषक की त्रुटि से भी किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। केवल तकनीकी आधार पर निस्तारण से न्याय का हनन होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर, तकनीकी आधार पर अपील खारिज करने के बजाय, हम गुणावगुण पर निर्णय करना अधिक न्यायोचित समझते हैं।

6. गुणावगुण पर हम पाते हैं कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर जॉच करने पर पहुॅचा तो पाया कि अपीलान्ट होतम गैर खातेदार का मौके पर कब्जा नहीं है और विगत तीन वर्षों से कोई फसल नहीं की है। पर्चा पढकर सुनाया

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

गया एवं पर्चा पर हस्ताक्षर कराये। उक्त मौका पर्चा पर अपीलाण्ट के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं एवं ना ही मौका पर्चा में यह अंकित है कि आवंटी होतम ने मौका पर्चा पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। उक्त मौका पर्चा पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं उनके भी गॉव पता आदि का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार बिना आवंटी की उपस्थिति में तैयार मौका पर्चा को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपीलाण्ट को विवादित भूमि 24.10.1977 को आवटित हुयी एवं अपीलाण्ट को संवत 2033–36 में नामान्तकरण संख्या 200 से गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं। नियमानुसार आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात् निरन्तर कब्जा काश्त होने के उपरान्त ही किसी आवंटी को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात् खातेदारी अधिकार। पटवारी/तहसीलदार एक तरफ तो अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होना कथन कर रहे हैं वही दूसरी तरफ अपीलाण्ट को विवादित आराजी पर गैर खातेदारी अधिकार दे रहे हैं। इसके अलावा गैर खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात् खसरा गिरदावरी संवत 2050–53 व 2058–61 में अपीलाण्ट की फसल बाजरा एवं सरसो का इन्द्राज है। आवंटी अपीलाण्ट ने विवादित आराजी को बैंक में रहन भी रख रखा है। जिसकी पुष्टि जमाबन्दी से होती है। प्रथम दृष्टया बैंक भी किसी पक्षकार को बिना कब्जे, कृषि ऋण नहीं दे सकती। उक्त तथ्य भी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त साबित करता है। परन्तु बैंक को प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया एवं ना ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रमाणित होता है। हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 20.01.2003 में अपीलाण्ट के अभिभाषक की अनुपस्थिति बतायी है एवं अंकित किया है कि अप्रार्थी स्वंय उपस्थित उसने बहस करने से मना कर दिया। जबकि पेशी दिनांक 30.12.2002 पर अप्रार्थी/अपीलाण्ट के अगूंठा निशानी हो रहे हैं। विचारणीय यह है कि क्या एक गॉव का अनपढ व्यक्ति अपने प्रकरण में अपने अभिभाषक की अनुपस्थिति में बहस कर सकता है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलाण्ट को सुने अथवा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ना देते हुये, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत निर्णय पारित किया है। हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि अपीलाधीन निर्णय साइक्लोस्टाईल प्रपत्र (छपे हुये प्रपत्र) पर अंकित है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त भी अपीलाण्ट की अपील को बल पहुँचातें हैं। नजीर में माननीय राजस्व मण्डल ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि केवल कब्जा के आधार

अति. संभागीय आयुक्त
भरतपुर

विधिपूर्ण आवंटन रद्द नहीं किया जा सकता। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 27.01.2003 अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 21.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-07-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर